न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2019 आर्म्स अपील (GCMS/2019/00004)
पंजीयन दिनांक - 09.01.2019
निर्णय दिनांक - 28.10.2020

1. श्री महेश कुशवाहा, 16-जयश्री नगर, अम्बाफला, तितरडी, उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. अपीलार्थी स्वयं
2. राजकीय पेरोकार - प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश दिनांक 01.01.2018, क्रमांक एफ. 21/11(39)आर्म्स/न्याय/17/07

निर्णय

दिनांक 28.10.2020

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के पारित आदेश क्रमांक एफ.21/11(39)आर्म्स/न्याय/17/07 दिनांक 01.01.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री महेश कुशवाहा पुत्रश्री शिवशंकर कुशवाहा, निवासी 16, जयश्री नगर, आम्बाफला, तितरडी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर समक्ष नवीन शस्त्र हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत बाबत आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अति.

पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.), उदयपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा आवेदक को नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नहीं माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश/पत्र क्रमांक एफ.21/11(39)आर्म्स/न्याय/17/07 दिनांक 01.01.2018 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया।

- उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री महेश कुशवाहा द्वारा दिनांक 01.01.2018 को इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के प्रस्तुत की।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर से अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 19.10.2020 को अपीलार्थी स्वयं एवं राजकीय पैरोकार उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा लिखित आपत्तियां भी प्रस्तुत की।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील, लिखित आपत्ति एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी पेशे से अधिवक्ता होकर पेशेवर मुजरिमों से आमना सामना होता रहता है। अपीलार्थी का निवास स्थान एकांत में होने से जानमाल का खतरा बना रहता है। असामाजिक तत्वों द्वारा अपीलार्थी के निवास के मुख्य द्वारा का लॉक तोडकर मोटरसाईकल चोरी की गई जिसे प्रातः अगली कॉलोनी में पाया गया, जिसकी सुचना भी पुलिस थाना में दी गई। इसी तरह की कई वारदात आसपास में आये दिन होती रहती है, पुलिस द्वारा भी कोई गस्त नहीं की जाती है, ऐसे में जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना आवश्यक था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को सुने बिना आवेदन निरस्त कर दिया। पुलिस विभाग की टिप्पणीयां बिना जांच के की गई है। चोरी की वारदात की सुचना उपरान्त भी सम्बन्धित विभाग द्वारा मौका मुआयना नहीं किया जाता है। घर के मात्र 100 फीट की दुरी पर समाजकंटक शराब पीते है, बॉटल फोड़ देते है, लिखित में शिकायत करने के बाद भी पुलिस गस्त चालु नहीं की गई। शस्त अनुज्ञप्ति की मांग पूर्णतया सुरक्षा और स्पोर्टस गतिविधियां के लिए की जा रही है, ना की किसी गतिविधि के

लिए। उक्त प्रकरण में अपने कथन में अपीलार्थी द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट का प्रकरण संख्या-6235/2018 अनवान कुमार जय प्रकाश बनाम बिहार राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 15.05.2018 की प्रति प्रस्तुत की और निवेदन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर को आदेश निरस्त करा अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अपीलार्थी के पक्ष में उचित फैसला देकर अनुग्रहित करें।

राजकीय पेरोकार द्वारा बहस में प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.), उदयपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा आवेदक को नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नहीं माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश/पत्र क्रमांक एफ.21/11(39)आर्म्स/न्याय/17/07 दिनांक 01.01.2018 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा विधिक राय प्राप्त की गई, जिससे भी अनुज्ञा प्रदान किया जाना उचित नहीं माना है। पारित आदेश पूर्णतया विधिक होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री महेश कुशवाहा पुत्रश्री शिवशंकर कुशवाहा, निवासी 16, जयश्री नगर, आम्बाफला, तितरडी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर समक्ष नवीन शस्त्र हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत बाबत आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आयुध अधिनियम की धारा-14(1)(ख)(i)(3) अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी अध्याय 2 अधीन के किसी भी मामलें में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहा इन्कार करेगा जहां कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये किसी कारण से अयोग्य है। हस्तगत प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दिनांक 23.05.2017 में अंकन किया कि आवेदक चारों

योग्यताएं पुरी नहीं करता है, जिससे आवेदन को वांछित नवीन शस्त्र क्रय करने की लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.) जोन, उदयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 में अंकन किया कि आवेदक को कोई थ्रेट परसेप्सन नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर से प्राप्त पत्रावली के यह प्रकट होता है कि विधि अनुभाग द्वारा नियम 36 अनुसार आवेदन के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं पुलिस विभाग की नकारात्मक टिप्पणी के मध्यनजर अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा की है। उक्त सभी रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से चस्पा नहीं होता है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश दिनांक 01.01.2018 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश दिनांक 01.01.2018 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर